

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1335/2009/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी

घट-चतुर्थ, वृत-अजमेर

अपीलीर्थी

बनाम

मैसर्स केसर इम्पेक्स फ्लोर कन्सेप्ट्स प्रा.लि.

जयपुर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित:

श्री राम करण सिंह

उप राजकीय अभिभाषक

श्री एस.के.जैन

अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 31.08.2016

निर्णय

अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-चतुर्थ, वृत-अजमेर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा यह अपील उपायुक्त(अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 102/अपील्स-चतुर्थ/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 03.08.2009 के विरुद्ध पेश की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रु. 1,47,100/- को अपास्त किया है।


प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 07.06.2008 को वाहन संख्या जी.जे.9-वाई-8137 को अजमेर बाईपास पर रोककर चेक किया गया। वक्त चेकिंग वाहन में वुडन लेमीनेटेड फ्लोरिंग माल लदा हुआ, जिसके सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर माल प्रभारी द्वारा चालान संख्या बीडीएन/1004 दिनांक 04.06.2008, बिल संख्या 14602 दिनांक 02.06.2008, केसर इम्पेक्स फ्लोर कन्सेप्ट्स प्रा.लि. बंगलौर द्वारा जारी इनवाइस संख्या 315 दिनांक 03.06.2008 स्टॉक ट्रांसफर फार्म पर, कर्नाटक, वाणिज्यिक कर विभाग का फार्म वैट-505 क्र.सं. 0134616 तथा घोषणा पत्र वैट-47 नम्बर 1963671 आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि प्रथम, माल सिफ्फोनी इण्टरनेशनल भिवाडी द्वारा मैसर्स केसर इम्पेक्स फ्लोर कन्सेप्ट्स प्रा.लि, जयपुर को अन्तर्राज्जीय विक्रय करना दर्शाया है, द्वितीय इनवाइस में माल बंगलौर से जयपुर स्टॉक ट्रांसफर करना दर्शाया है एवं इसके अतिरिक्त प्रस्तुत घोषणा पत्र वैट-47 का पार्ट-ए का कॉलम एवं पार्ट बी एवं सी पूर्ण रूप से रिक्त हैं। अतः एक माल एक समय में ट्रांसफर एवं अन्तर्राज्जीय विक्रय के रूप में दस्तावेज जानबूझकर करापवंचन की मंशा से बनाये गये तथा घोषणा

2

पत्र वैट-47 को अपूर्ण भरकर परिवहन किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 76(2)(बी) सपठित नियम 53 का उल्लंघन होने से माल मंगाने वाले व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब से असन्तुष्ट होकर माल की कीमत रु. 4,90,320/- पर 30 प्रतिशत की दर से अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति रु. 1,47,100/- आरोपित की। उक्त आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित करने पर, उन्होंने अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.08.2009 पारित कर आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया, जिससे क्षुब्ध होकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा सक्षम अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि वक्त चैकिंग माल के साथ उपलब्ध घोषणा प्रपत्र वैट-47 के पार्ट ए का कॉलम संख्या 3 तथा बी व सी के सभी कॉलम्स रिक्त थे। इस प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विवादित माल अपूर्ण घोषणा प्रपत्र से परिवहनित किया जाना अधिनियम की धारा 76(2)(बी) सपठित नियम 53 के विधिक प्रावधानों का स्पष्टतः उल्लंघन है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज के न्यायिक दृष्टान्त (2007) 18 टैक्स अपडेट 321 में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में प्रत्यर्थी के रिक्त घोषणा प्रपत्र के समर्थन से माल परिवहनित करने के लिये उसके विरुद्ध अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपणीय है। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरुद्ध शास्ति आरोपित करने हेतु पारित किया गया आदेश पूर्णतः विधिसम्मत एवं उचित है। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों पर समुचित रूप से विचार किये बिना सक्षम अधिकारी के विधिनुसार पारित किये गये आदेश को अपास्त किये जाने में विधिक भूल की गई है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी का कथन है कि वक्त जांच परिवहनित माल से सम्बन्धित बिल्टी, बिल एवं घोषणा प्रपत्र वैट-47 मौजूद था एवं ट्रांसपोर्टर की गलती से घोषणा प्रपत्र वैट-47 के कॉलम्स भरे जाने से रह गये थे, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी और न ही करापवंचन की मंशा थी। अतः व्यवहारी द्वारा परिवहनित माल के साथ अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के अंतर्गत वांछित सभी वैद्य दस्तावेज उपलब्ध होने से केवल घोषणा प्रपत्र वैट-47 के कॉलम्स रिक्त रह जाने के कारण व्यवहारी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती। इसलिये सक्षम अधिकारी का प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरुद्ध पारित शास्ति



आरोपण का आदेश अविधिक एवं अनुचित है। अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी की अपील स्वीकार किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने राजस्वकी अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में वक्त चैकिंग वाहन में परिवहनित हो रहे माल वुडन लेमीनेटेड फ्लोरिंग के साथ उपलब्ध दस्तावेजों के साथ संलग्न घोषणा प्रपत्र वैट-47 के पार्ट ए का कॉलम संख्या 3 तथा बी व सी के सभी कॉलम्स रिक्त के सभी कॉलम्स पूर्णतया रिक्त थे। इस प्रकार प्रकरण में परिवहनित माल के दस्तावेजों के साथ उपलब्ध घोषणा प्रपत्र अपूर्ण/खाली होना पाये जाने पर अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के विधिक प्रावधानों का स्पष्टतः उल्लंघन होने के कारण माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज के न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार वैट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपणीय है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज (18 टैक्स अपडेट 321) के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया है कि :-

".....For the aforesaid reasons, we hold that section 78(5) of the RST Act 1994 (Section 22A(7) of the RST Act, 1954) is the section enacted to provide remedy for loss of revenue and it is not enacted to punish the offender for committing economic offence and, therefore, mens rea is not an essential ingredient for contravention of Section 78(2) of the RST Act 1994. That, **the breach of Section 78(2) would attract the levy of penalty under Section 78(5) in cases** where the goods in movement have travelled with an incomplete Form No. 18A/18C"

माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक अन्य प्रकरण एस.एल.पी. (सिविल) नं० 2207/2008 (2010) 01 RGSTR-D 014 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स आशियाना इस्पात लि० में निर्णय दिनांक 11.9.2008 में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जांच के वक्त प्रामाणिक दस्तावेज नहीं पाये जाने पर विधिक प्रावधानों का पालन नहीं होता है, इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 18 टैक्स अपडेट 321 में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में शास्ति विधिसम्मत आरोपित की गयी है।

प्रकरण में यह भी निर्विवादित है कि वक्त जांच घोषणा-पत्र वैट-47 के पार्ट ए का कॉलम संख्या 3 तथा बी व सी के सभी कॉलम्स रिक्त रिक्त पाये गये हैं। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी के स्तर पर अग्रिम जांच करते हुए व्यवहारी की करापवंचन की मानसिकता प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसा कि माननीय




राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स राजेन्द्र इलेक्ट्रिकल्स बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-प्रथम जालौर में पारित निर्णय दिनांक 12.8.2009 [(2009) 25 Tax Update 20] में प्रतिपादित किया गया है।

इस प्रकार सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित करना पूर्णतः विधिसम्मत एवं न्यायोचित है।

अतएव माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज के न्यायिक दृष्टान्त (2007) 18 टैक्स अपडेट 321 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के अपूर्ण घोषणा प्रपत्र वैट-47 के समर्थन से विवादित माल का परिवहन अधिनियम की धारा 76(2)(बी) सपठित नियम 53 के विधिक प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए व्यवहारी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 76(6) के तहत विधिनुसार शास्ति आरोपण हेतु पारित किये गये आदेश को अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक भूल की गई है।

परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.08.2009 को अपास्त किया जाकर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 07.06.2008 की पुष्टि की जाकर पुनः यथावत बहाल (restore) किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।


(सुनील शर्मा)
सदस्य